

समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002.
(विकलांग कल्याण शाखा)

मिसिल सं. 82/1003/RTI/AD-III /DSW/2014/23794 दिनांक
सेवा में,

26 MAR 2015

श्री महमूज हुसैन,
पता :- C-32, सीड्स लाइन
दिल्ली विश्व विद्यालय,
दिल्ली - 110007.

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना।

सन्दर्भ :- F.NO41(P5)/FAS/DSW/Injn. Act 2005/172/2014-15/396-397 dt-23.3.15

श्रीमान्

आपके द्वारा लिखा गया पत्र सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा में दिनांक 24/03/2015 को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा माँगी गई जानकारी समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्न प्रकार है :-

प्रश्न संख्या	उत्तर
(1)	समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी "एमसरए" के रूप में संग्रहीत है।
(2)	इस शाखा से सम्बन्धित नहीं है।
(3)	समाज कल्याण विभाग की आर्थिक सहायता अनुभाग शाखा से सम्बन्धित है।
(4)	इस विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना वर्तमान में नहीं है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपीलिय अधिकारी/अतिरिक्त निदेशक (समाज कल्याण), समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार जी.एल.एन. कामप्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकते हैं।

संग्रह :- उपरोक्त अनुसार

भवदीय
दिनांक
22/03/2015

सहायक निदेशक (विकलांग)

मिस्त्रिल स. 82/1003 RTI | ADJ | DSW | 2014 | 13794

प्रतिलिपी:-

दिनांक:-

26 MAR 2015

1. उपनिदेशक / जनसूचना अधिकारी, आर्थिक सहायता अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली गेट, नई दिल्ली. प्रार्थी की तबान संख्या - 03 की सूचना प्रदान करने हेतु।
- (2) संयुक्त निदेशक (आई.टी.), कम्प्यूटर सेल, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली गेट, नई दिल्ली - समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

देल्ला
26/03/2015

सहायक निदेशक (सिकलंग)

- (1) विकलांग कल्याण शाखा के अन्तर्गत 'नेशनल प्रोग्राम फोर रिहैविलिटेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिस्पैविलिटीज' (एन.पी.आर.पी.डी.) की स्कीम है। इसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, (विकलांग कल्याण शाखा) निःशक्त जन हेतु General Disability Camp, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से शिविर का आयोजन करता है इस शिविर(कैम्प) के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है जैसे :-
1. विकलांगता प्रमाण पत्र सरकार द्वारा नोटिफाइड क्षेत्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी किया जाता है,
 2. विकलांगता पहचान पत्र क्षेत्रीय जिला आयुक्त के द्वारा जारी किया जाता है,
 3. इंटीग्रेटेड स्कूलों में पंजीकरण करने की सुविधा की जानकारी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाती है,
 5. आउटिजम व सेरेब्रल पल्सी व्यक्तियों हेतु सेवाएं
 6. एड्स एण्ड अप्लाईसेज
 7. समाज कल्याण विभाग के वित्तीय सहायता योजना की फार्म

(2) समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की आर्थिक सहायता अनुभाग शाखा द्वारा विकलांग व्यक्तियों को नियमानुसार 1500 रु की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना चलाई जा रही है।

25/03/2015